(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 44/2015–2020
दिनांकः 30 अक्टूबर, 2020

विषयः आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 07 के एक्जिम कोड 07019000 के अंतर्गत मदों हेतु आयात नीतिगत शर्तों को शामिल करना।

सा.आ.(अ): समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 07 के अंतर्गत मदो की नीतिगत शर्तों को संशोधित करती है।

एक्जिम कोड	मद विवरण	आयात नीति	नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
07019000	आलू, ताजा या शीतितः अन्य	प्रतिबंधित	–	भूटान से आलू का आयात 31 जनवरी, 2021 तक बिना किसी लाइसेंस के मुक्त रुप से अनुमत है।

इस अधिसूचना का प्रभावः एक्जिम कोड 07019000 के अंतर्गत भूटान से 31 जनवरी, 2021 तक बिना किसी लाइसेंस के आलू का आयात अनुमत है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अमित यादव
30/10/2020
(अमित यादव)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा.सं. 01/89/180/02/एएम–17/पीसी–2(क)/ई–3200 से जारी)